राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं ।

माननीय मंत्री ने वह टेलीग्राम देखा था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह टेलीग्राम जिस पोस्ट आफिस में दिया गया था उस पोस्ट आफिस के क्लर्क को तो मालूम हो गया होगा कि किस ने टेलीग्राम दिया है। वह कोई बन्द लेटर नहीं होगा। जब इस प्रकार के टेलीग्राम आयें जिसमें चौधरी चरण सिंह जैसे नेता के बारे में इस प्रकार लिखा हो, तो उस क्लर्क को तो तुरन्त उसका पता लगा होगा तो उसी वक्त उस व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? उस क्लर्क के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? उसका तो बड़ी आसानी से पता लग सकता है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East) : A calling Attention may be admitted on that.

MR. CHAIRMAN : That may be done by the Speaker. He will decide it.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER—*rose*

*(Interruptions)***

MR. CHAIRMAN : I cannot allow these things.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (मैदपुर) : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : यह तो मंत्री महोदय की मर्जी है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मेरा पायंट आफ आर्डर है। मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट पढ़ा है, उसमें वह शुद्धि कर दें। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि खत पर एड्रेस नहीं है, लेकिन जो आखरी खत आया है, उस पर एड्रेस है।

MR. CHAIRMAN : What is your point of order ?

SHRI MANI RAM BAGRI : My point of order is that the Home Minister has stated that in the letters which Mr. Charan Singh received, there are no addresses. In the last letter which was received by Mr. Charan Sing, there is a complete address. The Minister's statement is not a true statement. Therefore, I say that the hon. Minister may kindly make a correct statement.

SHRI P.C. SETHI : Even when there are no addresses, we ask I.B. to make enquiries into them ; and where there are adresses...

श्री मनीराम बागड़ी : 32, गुरू नानक निवास।

SHRI P.C. SETHI : We will make all possible efforts to take necessary action.

16.06 hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय मैं कह रही थी कि बिहार को उत्तरी क्षेत्र से या कहीं से भी बिजली दी जाए, उसके लिये सब से पहले यह आवश्यक है कि वितरण प्रणाली और ट्रांसमिशन लाइन्स को मजबूत किया जाए। लेकिन जिस राज्य में बिजली बोर्ड घाटे में चलता हो, वहां किसानों को क्या सुविधा मिलेगी और कृषि की हालत में क्या सुधार होगा ? आज-कल प्रकृति हमारे विपरीत है और मानसून हमारा साथ नहीं दे रहा है। इस स्थिति में अगर बिजली बोर्ड के कार्य-कलाप ऐसे होंगे, जिससे जनता को कोई राहत न मिल सके, तो फिर ऐसे बिजली बोर्ड का न रहना ही ज्यादा अच्छा

**Not recorded.

हैं, क्योंकि उस पर काफी अधिक खर्चा होने लगा है।

26-6-83 को बिहार विधान सभा में बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा कि बिजली की दरों में जो बढ़ोत्तरी की गई है, उससे बिजली बोर्ड को 10 करोड़ रुपये की आय होगी। जिस बिजली बोर्ड की आय ही नहीं होती है, उसकी आय में बढ़ोत्तरी कहां से होगी? उन्होंने यह भी कहा कि बिजली बोर्ड को 50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और बिजली की दरों को बढ़ाए बगैर बिजली बोर्ड का काम नहीं चलेगा। मैं जानना चाहती हूं कि जहां यह स्थिति है, क्या यह सम्भव है कि मंत्री महोदय इस विधेयक के द्वारा जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम तीन प्रतिशत सरप्लस होना चाहिए, वहां कुछ सुधार हो सके।

कल-परसों हमारे सदन में चर्चा में राजाध्यक्ष कमेटी की बात चली थी। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि अमरीका में एक मेगावाट के लिये कितने लोगों की जरूरत है, भारत वर्ष में एक मैगावाट के लिये दस लोगों की जरूरत है, मगर हमारे राज्य में एक मैगावाट के लिये 49, 50 मैन-पावर की जरूरत पड़ गई है। इसके बाद भी हम लोग नहीं जानते कि 21, 22 हजार काम करने वालों की जगह आज वहां पर जो 50,65 हजार लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कितने पोस्ट हैं, वे कहां काम करते हैं, किन के यहां और किनके लिए काम करते है। बहुत विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देते हुए मैं कहना चाहती हूं—शायद मंत्री महोदय को भी मालूम होगा—कि बिहार में आठ, साढ़े आठ करोड़ रुपये की बिजली की चोरी होती है। प्रतिवेदन में यह भी आया है कि केवल पटना शहर में बड़े-बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों और होटलों के मालिकों पर तकरीबन 16 लाख रुपए का बकाया है। अगर वह रुपया वसूल नहीं किया जाएगा, तो हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके बिजली बोर्डों के कार्य-कलापों को नहीं सुधार सकते। यह कितनी गंभीर बात है कि 10 करोड़ रुपए की सम्पत्ति, सामग्री लावारिस की तरह बिजली बोर्डों में पड़ी रहती है या जहां तहां बाहर भी उन पैसों का लेखा-जोखा भी नहीं रखा जाता है। गांवों में बिजली नहीं, शहरों में बिजली नहीं, गांव अंधेरे में हैं और शहरों में हम लोग अपने-अपने घरों में छोटे-छोटे जनरेटर खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन गांवों में लोग वह भी नहीं खरीद सकते हैं। उनके पास इतनी क्रयशक्ति नहीं है कि जनरेटर को खरीद कर अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर सकें। गरीब किसान को तो मानसून पर ही निर्भर करना है, तो ऐसे बिजली बोर्डों के लिए इस विधेयक की कोई आवश्यकता नही है। एक तरफ कर्ज बढ़ेगा, टैरिफ की दर में बढ़ोतरी होगी और दूसरी तरफ उत्पादन घट रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं, संभवतः मंत्री महोदय को मालूम होगा। हमारे यहां एक कालोनी है कनकार बाग, जहां पर कि एक विद्युत ताप केन्द्र बनने वाला था। इस बारे में सब कुछ तय हो चुका था, जमीन अर्जित की गई और 24 लाख रु० की सामग्री भी वहां के लिए खरीदी गई, लेकिन पता नही क्यों वह जमीन बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के बीच में वितरित कर दी गई। वहां का सामान पता नहीं कहां चला गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सबसे गम्भीर बात यह है कि बिजली बोर्ड के जो पदाधिकारी या जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने दस पन्द्रह लाख का मकान बनाया है और उसको विद्युत बोर्ड को किराए पर

[श्रीमती कृष्णा शाही]

दे दिया है। चार-पांच हजार रुपए किराया वसूल करते हैं। वहां पर 24 प्रतिशत बिजली संचालन में क्षय होता है। इस क्षेत्र में भी पता नहीं करोड़ों रुपये की राशि पता नहीं कहा चली जा रही है। इस स्थिति में क्या मंत्री महोदय इस विधेयक को पास करा कर सफल हो सकते है। फिर भी जो विधेयक मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करती हूं। यह इनके बस का रोग नहीं है। ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। फिर भी मैं अपेक्षा करती हूं कि वे विधेयक को प्रभावशाली बनायेंगे और कारगर बनायेंगे और बिहार की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देंगे।

*SHRI J. S. PATIL (Thane): Mr. Chairman, Sir, The Electricity (Supply) Amendment Bill, 1983 seeks to make some technical amendments to the parent Act of 1948. 30 years after framing the Act, Janata Government felt it necessary to amend the Act and they amended the Act in 1978 providing for the financial assistance to the State Electricity Boards. The amendments that the present Bill seeks to make are technical in nature and it is just window dressing. The present amendments propose that the State Electricity Boards shall have a surplus of 3% of the value of the fixed assets of the Board in service at the beginning of the year. It is also sought that all the State Electricity Boards shall maintain their accounts in a uniform manner. All these are technical amendments. I would like to utilise this opportunity to analyse the functioning of State Electricity Boards in the country. While going through this Bill I was rather surprised as to why the Government proposes to fix the limit of 3% for the surplus to be maintained by the Electricity Boards. What is the idea behind fixing this limit?

All the Members of the ruling party belong to the Indira Congress which is distantly related to Congress founded by Mahatama Gandhi. Mahatama Gandhi had placed the ideals of three monkeys which told people "Don't see anything bad, don't speak anything bad and don't listen to anything bad." But the ideal before the members of Indira Congress has reversed. These are (I don't want to say monkeys) — see bad, speak bad, listen to anything bad and indulge in corruption.

The Government proposes to bring uniformity in the maintenance of accounts of Electricity Boards. Even before independence, the businessmen and factory owners did maintain their accounts on commercial lines. But, surprisingly after 35 years the Government has now realised the need to bring uniformity in maintaining the accounts of Electricity Boards. So, better late than never the Government has realised the need to change the accounting pattern of electricity boards.

Our country consists of 75% villages. 75% of our population resides in our country side. But still half of the villages in the country are in darkness. Even if the high tension line passes by a village, electricity may not be supplied to it. Power politics plays a vital role in supplying electricity to villages. Some villages are favoured in supplying power, denying others who do not enjoy political patronage. The ruling party members harp on 20-point programme day in and day out. But I want the hon. Minister to tell the House the exact number of harijan and adivasi bastis adjacent to villages which have been supplied electricity. I am sure that he won't be able to give the figure because there is difference between precept and practice of this Government. This is the style of functioning of this Government.

Power has proved to be a boon for the farmers. But unfortunately the Government's policy to supply power to farmers is not properly implemented in any State. Mahararhtra was particularly unlucky to have the corrupt rule of Antulay Govt. which had forsaken the ideals of the

*The original speech was delivered in Marathi.

Centre. A Scheme of plantation called "Phalodyan" was formulated by the Government. Many farmers who desired to take benefit of the scheme were given plants for plantation. But as the required power was not supplied by the State Electricity Board, the farmers who wanted to cultivate orchards or grow vegetables could not take benefit of the scheme and had to suffer on account of non-availability of power. It need hardly be stressed that agriculture seems to be not a profitable occupation in this country. Some States might be getting good crop. But generally speaking, agriculture is not a profitable occupation. I suggest that some subsidiary and secondary occupation should be made available to the farmers so that they would earn some money and sustain themselves and their families.

Recently, there was an unprecedented power break down especially in Pune and Bombay for 4 to 5 hours. It is learnt that power was 'stolen' by Gujarat. The Government must make the position clear. It appears that different State Electricity Boards are vying with one another to maintain continuous supply of power.

All the members of this House are aware of the inefficient functioning of their respective electricity Boards. Shri Dudhane, Ex-Chairman of Maharashtra State Electricity Board indulged in malpractices. A case against him was filed in a court of law and he was punished for his offence. It is not only the Government officials who are involved in corruption but those who are made Chairmen in whom the Govt. reposed their confidence also fall a prey to corrupt practices and in fact prove source of encouragement to others. That spoils the image of representatives of the people and the sincere workers in the minds of people.

English edition of *Blitz* dated 30th July 1983 has published a headline on front page regarding the alleged connivance of the officials of Nagpur-Chandrapur Division of the Electricity Board and the contractors in looting hundred crores of rupees by awarding tenders for higher amounts paying higher transportation costs, and making purchases at higher rates. This matter involving such a huge amount must be thoroughly investigated.

During the elections in 1980, Mrs. Gandhi gave so many slogans. But none has been implemented and I don't expect this ineffective Government to fulfil the assurances given.

The Planning Commission has not allocated the required funds for power generation. Though many hon. Members insist on more generation, it will not be done due to paucity of funds. The target of power generation during the 6th Plan period would fall short by 5500 M.W. The Government has given permits for opening new factories. It is clear that in view of shortage of power, the Government is pursuing wrong policy. We will not achieve our target of rural electrification if more power is supplied to factories.

Not only the allocated amount for power generation is insufficient, but it is surprising that even the allotted amount is not fully utilised. Out of the allocated amount of Rs. 3252 crores in 1981-82 we spent only Rs. 3202 crores and in 1982-83 out of Rs. 3867 crores, we spent only Rs. 3821 crores. It is very unfortunate that electricity boards and officials did not utilise the allocated amount fully.

All the Acts passed by the Parliament are uniformally applicable throughout the country. But the Act governing electricity Boards is not uniformally followed. Every Board functions in a slightly different way from others. This is evident by difference of power rates fixed by different boards. The following is the comparative study of difference in power rates of domestic consumption for a period of five

[Shri J. S. Patil]

years :

States	Rate (in Paise) per unit	
	1978	1983
Andhra Pradesh	19	45
Maharashtra	22	38
Uttar Pradesh	22	52
West Bengal	38	51

The Government should have uniform power policy and execute it through State Electricity Boards.

Many reasons are advanced for increase in power rates, some of them being the increase in price of coal and cost of coal transportation, increase in salary-bill of employees, increase in prices of spare parts etc. All these factors may have contributed to some extent for increase in power rates but the corrupt functioning of State Electricity Boards is mainly responsible for the increase.

A Government report has revealed that while a tonne of coal used to generate 2047 units of power in 1976-77, in 1981-82 the same amount of coal can generate only 1663 units. This only goes to prove that the efficiency of Electricity Boards is going down day by day. It also reveals that the Government is not properly controlling the Electricity Boards.

The generation of thermal power is costly due to costly transportation of coal. We should diversify our sources of generation of power. Scientists in Tata Institute of Fundamental Research are conducting research on the possibility of generation of power by solar energy. We should encourage our scientists and seriously consider how new sources like solar energy could be harnessed for power generation.

There are many power projects from several States which are pending with the Planning Commission. They should be cleared immediately. There are 14 power projects of Maharashtra yet to be sanctioned. The inordinate time gap between approval of projects and their completion results only csealation of project costs wnich is sometimes more than double of the estimated costs. This is the reason why our project become a failure.

I appeal to the Government to approve the pending projects at the earliest. That is the only way of solving the problem of power shortage in the country. I request the Government to consider the various facets of this problem and amend the Act suitably which will enable the Government to find a lasting solution to the recurring power crisis.

श्री चन्द्रपाल शंखानी (हाथरस) : बिजली का आज के युग में अत्यधिक महत्व है जिस तरह से मनुष्य के लिए खाना, पानी और हवा आवश्यक है उसी तरह से बिजली भी मनुष्य के जीवन का एक आवश्यक अंग बन गई है। बिजली का उत्पादन देश में जिस गति से चल रहा है वह संतोषजनक नहीं है। राज्यों के करीब करीब सभी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और निकट भविष्य में ऐसी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है कि उन में कोई सुधार हो सके।

हमारे देश में अधिकतर ताप बिजली घर हैं, पन बिजली घर हैं। कोशिश हम यह कर रहे हैं कि आणविक क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। उस ओर हमने पदार्पण किया है। उस में भी बिजली बनाने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं।

जहां तक पन बिजली घरों का सवाल है ये बरसात के ऊपर निर्भर करते हैं। बरसात अच्छी हो जाए तो अच्छा चलने लग जाते हैं और न हो तो बन्द पड़े रहते हैं। इसी तरह से ताप बिजलीघर कोयले और मशीनरी पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ

कर्मचारियों की क्षमता पर निर्भर करते हैं। आम तौर पर देखा यह गया है कि जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं वहां कोयला पूरी तरह से सप्लाई नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि जिस रफ्तार से बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिये नहीं बढ़ पाता। इसका खमियाजा तरह तरह की मुसीबतों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को भुगतना पड़ता है।

कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि समुद्र की लहरों से भी बिजली बनाने की सम्भावनाओं की खोज की जा रही है। इंसान अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिये पता नहीं कहां कहां और क्या क्या खोज करता है। फिर भी उसकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं दिन प्रति दिन और उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है।

बहुत से साथियों ने कहा और मैं भी उस में शामिल हूं कि जितने भी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उन में जिस रफ्तार से, जिस गति से काम होता है वह ठीक नहीं है और वह चीज किसी से छिपी हुई भी नहीं है। ज्यादा तर बिजली बोर्ड इस कारण घाटे में चल रहे हैं। उत्तर भारत के पांच राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को आप लें। इन सभी बोर्डों का घाटा 1980 से 1985 तक 574.93 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस में सब से ज्यादा बाजी उत्तर प्रदेश मार रहा है। मारनी भी चाहिए क्योंकि वह देश का सब से बड़ा प्रान्त है। वहां घाटे की सम्भावना 295.02 करोड़ रुपये है। बुजुर्ग कहते हैं और कहावत भी है कि सरकार का सब से ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई महकमा है तो पुलिस का महकमा है। उसको सब से ज्यादा भ्रष्ट और निकम्मा महकमा कहा गया है। लेकिन आज लोगों की धारणा यह बन गई है कि अगर सब से ज्यादा भ्रष्ट महकमा कोई है तो बिजली का है जहां इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से लेकर लाइनमैन तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.....

श्री रामावतार शास्त्री : मिनिस्टर भी हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : उत्तर प्रदेश आदि में आपके मिनिस्टर भी रहे हैं, आपकी पार्टी के भी रहे हैं। रुस्तम सेटन, झारखंडे राय रहे हैं। उनके विषय में क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : बिल्कुल नहीं आप गलत कहते हैं। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : आम आदमी की यह धारणा बन गई है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वह बिजली विभाग में है और यह कथन बहुत हद तक सही है। इस स्थिति को हमें कैसे सुधारना है ? आमतौर पर यह देखने में आया है कि कोई भी कंपनी, फैक्टरी या संस्था अगर पब्लिक सैक्टर में चलती है तो वह घाटे में चलती है, इन-एफीशियेंट रहती है और अगर प्राइवेट सैक्टर में चलती है तो फायदे में चलती है और काम अच्छा चलता है।

मैं रोडवेज की बात कहता हूं। हमारे यहां जितनी बसें प्राइवेट सैक्टर की चलती हैं, वह अच्छी हैं लेकिन रोडवेज की बसों की हालत यह है कि उनमें बैठा नहीं जाता, उनमें हार्न को छोड़कर पूरी गाड़ी बजती है और उनमें कोई भी भला आदमी आराम से सफर नहीं कर सकता। जहां हालत ऐसी है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कमी कहां

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

है। सरकार जनहित में काम करना चाहती है, जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, उसके मन में बहुत कुछ है लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या वजह है जिसके कारण यह सारी गलतियां हो रही हैं, मुसीबतों का हमको सामना करना पड़ रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की कोई जांच कराई जाये, व्यवस्था कराई जाये कि पब्लिक सैक्टर में चलने वाली कंपनियां क्यों घाटे में चलती हैं और प्राइवेट सैक्टर में चलने वाली कंपनियां कैसे फायदे में चलती हैं ?

अभी 29 जुलाई को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में हमारे ऊर्जा मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि कुछ विदेशी कंपनियों से इस प्रकार के प्रस्ताव हमारे पास आये हैं कि वह भारत में बिजलीघरों की स्थापना करेंगे। उसका कारण यह बताया गया था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से उन्होंने इस बात का स्वागत किया था कि जो विदेशी हमारे देश में बिजलीघर स्थापित करना चाहें, उनको प्रोत्साहन देंगे, रियायत देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह बात सही है तो इसके लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किया है और किन-किन देशों से उनको इस तरह के प्रस्ताव मिले हैं ?

हम एक विकासशील देश हैं। पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था 'आराम हराम है'। जब तक हम मंजिल तक न पहुंच जायें, हमारा देश खुशहाल न हो जाये, हमारी मेहनत और कार्य यह होना चाहिए कि हमको पूरी ईमानदारी, वफादारी और लग्न से देश के हित में निर्माण में काम करना चाहिये, लेकिन हम यह देखते हैं कि जिनके उपर जिम्मेदारी है विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की, वह अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करते हैं। आने वाले समय में हमें और भी काम करने हैं। आने वाले समय में हमें बिजली की और भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी हमारे यहां बहुत सी फैक्टरियां, कंपनियां खुलनी हैं जिनको बिजली की जरूरत होगी और उनका काम बगैर बिजली के नहीं हो पायेगा, लेकिन अगर काम की यही रफ्तार रही तो शायद हमारा सपना और उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि बिजली बहुत अहम और आवश्यक चीज है, इसे जैनरेट करने के लिये जो व्यवस्था करने वाले हैं, उनको सही ढंग पर लाने के लिये सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने चाहियें।

बिजली के रेट देश में किसी भी प्रदेश में समान नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बंगाल, असम, बिहार, राजस्थान में कुछ और रेट है। यह बात समझ में नहीं आती कि इन रेटों में असमानता क्यों है ? उत्तर प्रदेश में बिड़ला को किसी रेट पर बिजली देते हैं और किसानों व छोटे उद्योगों को किसी और रेट पर बिजली देते हैं। इस तरह की असमानता नहीं होनी चाहिये। अगर असमानता करनी है तो बड़े पूंजीपतियों को ज्यादा रेट पर बिजली देनी चाहिए और किसानों व छोटे उद्योगों को कम रेट पर। लेकिन आज हो इसका उलटा रहा है। यह समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस देश में कमजोर वर्ग के लोग और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ज्यादा रहते हैं और एक अर्से से हर तरह से उनकी उपेक्षा की जाती रही है। हमारी सरकार और हमारी महान नेता लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में ज्यादातर कमजोर वर्ग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ऊपर उठाने की बात कही है और हर क्षेत्र में हमारी सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जहां भी गरीब हरिजन आदिवासी लोग रहते हैं उनकी बस्ती में बिजली होनी चाहिए। सरकार इस दिशा में काफी सक्रिय है और कदम भी उठा रही है। लेकिन हम हैं कि अखबारों में और कागजों में यह घोषणा कर दी जाती है कि इतने गांवों का बिजलीकरण हो गया लेकिन वास्तव में होता यह है कि वहां पर लट्ठे गड़ जाते हैं, तारें खिच जाती हैं परन्तु उन पर जलती हुई बिजली दिखाई नहीं देती। मेरा अनुरोध है कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें क्योंकि अगर वहां पर बिजली ही नहीं पहुंचती है तो लट्ठे और तारें खींचने का कोई सेन्स नहीं है। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा उससे सम्बन्धित जो उद्योग-धंधे हैं उनके बिजली की आपूर्ति तेज की जाए। उत्तर प्रदेश में कहीं पर तो वर्षा ज्यादा है और कहीं पर सूखे जैसी स्थिति है और वहां पर बिजली की सख्त जरूरत है। अगर वहां की फसल को तुरन्त पानी नहीं मिला तो वह मुर्झा जायेगी और किसान बर्बाद हो जायेंगे। इसलिए उन किसानों को और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे करने वालों को बिजली की आपूर्ति में टाप प्रायर्टी मिलनी चाहिए।

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश में कितने ऐसे बिजलीघर हैं जो प्राइवेट कंपनियों के मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत चल रहे हैं और क्या उनका काम ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है या पब्लिक सेक्टर में चलने वाले बिजली घरों का काम ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। आम तौर से हम देखते हैं कि बिजली की चोरी होती है और उसमें सबसे ज्यादा हाथ बिजली कर्मचारियों का ही होता है। मेरे भाई का ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खुल गया था। उस सिलसिले में 16 आदमी गिरफ्तार हुए थे जिनमें से 12 लाइनमैन, बिजली विभाग में काम करने वाले थे। मेरा अनुरोध है कि यदि विभागीय लोग बिजली की चोरी या अन्य चोरियों में पकड़े जायें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही और सजा होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ में शक्ति भवन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दफ्तर मीराबाई मार्ग पर है। पहले से ही उनके पास बड़ी बिल्डिंग थी और अब वहां पर बोर्ड लगा हुआ है टालेस्ट बिल्डिंग इन यू पी, ऐसी 15 मंजिली बिल्डिंग वहां बन रही है। पता नहीं उस पर कितना खर्चा आयेगा करोड़ों में आयेगा। दूसरी तरफ देहातों में जो बिजली की हालत है वह आप जानते ही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स और दूसरे लोग जो वहां पर लगे हुए हैं उनकी गतिविधियों को आप देखें। मैं ऐसे जूनियर इंजीनियरर्स को जानता हूं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं। इसके लिए उनके पास रुपया कहां से आता है? दूसरे तरीके से ही वे यह रुपया कमाते हैं। इस बात को सभी लोग एम पीज और मिनिस्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं। जितनी उनकी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा वे मकान का किराया देते हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी मालप्रैक्टिसेज की खुफिया जांच करवाकर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

एक बात में यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब सरकार थोड़ा कड़ाई से कदम उठाती है, तो इन्जीनियर लोग हड़ताल की

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

धमकी देते हैं। यह मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि हमारा देश विकासशील देश है। चाहे खेत में काम करने वाला हो चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला हो, संसद में यहां बैठने वाला हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अध्यापक हो और चाहे विद्यार्थी हो या मजदूर हो—सब को इस देश के निर्माण के लिए ईमानदारी से काम करना है। आवश्यक चीजों में जो हड़ताल होती है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं (व्यवधान)···आदमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है। खेत सूख रहे हैं, ट्यूबवैल के लिए बिजली नहीं है, फैक्ट्री में काम करने के लिए बिजली नहीं है, हड़ताल करवा दी जाए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं पुर जोर शब्दों में सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम बिजली विभाग के कर्मचारियों और इंजीनियरों तथा दूसरे कर्मचारियों को हड़ताल करने पर पाबन्दी लगा दी जाए। जो लोग बिजली विभाग में हड़ताल करें और कराए, ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसी पार्टियों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बन्द कर दिया जाना चाहिए, अगर देश को सही ढंग से चलाना है। देश की प्रगति करनी है, देश की उन्नति करनी है तो सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं पुनः सरकार से निवेदन करते हुए कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में यदि कोई हड़ताल करें तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I would like to express my views.

At the very outset, I would like to express my apprehension that the provisions contained in this Bill may compel the Electricity Boards to concoct their accounts in order to show the stipulated 3% annual surplus.

The hon. Minister is fully aware of the acute paucity of power throughout the country. He is also acquainted with the fact that the State Electricity Boards in all the States are incurring losses running several hundreds of crores year after year. On account of non-availability of power, the annual production loss is estimated to be several hundreds of crores. We read everyday in the newspapers that so many industries have laid off the workers and so many textile mills have been closed for want of power. I need not say that the revenue loss to the Government will also be quite substantial. In this environment of exceptional circumstances, how can we expect the Electricity Board to show an annual surplus of 3%? It is really inexplicable to me how the Centre can exert legal compulsion on the State Government to ensure that this is done.

In this matter of power, Tamil Nadu is the worst hit and the entire House is aware of it. In Tamil Nadu there was 100% power cut and many large industrial undertakings were laid off for months together. I know personally that in Coimbatore city, which is called the Manchester of India, all the textile mills were starved of power. In the interest of workers, the owners of Textile Mills installed their own generators so that they could run the Mills. But the cost is prohibitive. Per unit of power they have to incur a loss of Re. 1 to Rs. 1.25. It should be the responsibility of the Central Government, which has to ensure industrial and economic progress of the country, for ensuring the establishment

*The original speech was delivered in Tamil.

of Thermal and Hydel Power Projects so that adequate supply of power can be given to the industries. I am afraid that the Centre has failed miserably in this regard.

The Central Government has no doubt established some Super Thermal Power Stations in the country. We have one in Tuticorin, Tamil Nadu. I need not elaborate the point that the Thermal Power Stations in Ennore and other places are to get coal allotted by the Centre. We have to get coal from U.P., Bihar and West Bengal. The Super Thermal Power Station in Tuticorin has to get coal through the sea from the northern coal mines. Unfortunately the ash content in this coal is so high that it impedes full utilisation of the installed capacity in these Thermal Plants. Presently, all the Thermal Plants utilise just 40% of the installed capacity because of high ash-content coal. Naturally Tamil Nadu is in the grip of power crisis. The failure of monsoon and the Cauvery water problem have worsened the power crisis further because the hydel plants do not have water.

There was so much fanfare about the generation of power in Kalpakkam Atomic Power plant in Tamil Nadu. The Hon. Prime Minister went from Delhi to Madras in a special IAF Plane and then in a helicoper to Kalpakkam. There were full-page advertisements in almost all the newspapers of Tamil Nadu about the inauguration of the Atomic Plant at Kalpakkam. Our hon. Prime Minister was given reception on an unprecedented scale, with big banners fluttering all over the city of Madras. There were posters everywhere in the city of Madras. We were happy that out dream has come true. There was announcement that so many thousands of units of power have been given to the State. But, unfortunately, before our hon. Prime Minister returned to New Delhi, the power generation in the Kalpakkam plant came to a grinding halt due to some faults. So many lakhs of rupees spent from the taxpayers' money on this grand inauguration have proved to be a waste, I am constrained to remark that all this seems to be a political gimmick played to divert the attention of the people in Tamil Nadu. In 1980 the people of India gave their unanimous and massive support to Indira Congress in the hope that their myriad miseries would be mitigated. I regret that their hopes have been belied.

I do not know the compulsions of the hon. Minister in bringing forward this Bill. He might have been guided by the fact that the World Bank may be insisting on this before the sanction of the loan. I concede the ladable objective of the hon. Minister. But I would like to know how the Tamil Nadu Electricity Board can show the annual sur plus of 3%, when a sum of Rs. 78 crores is to be paid to the Neiveli Lignite Corporation for the supply of coal and power.

16.56 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Sir, the Neiveli Lignite Corporation has supplied coal to the Thermal Stations. Now they have not received the payment for it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude, Mr. Mohan.

SHRI ERA MOHAN : As soon as you occupy the Chair, you press the button.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot help it because your Party has been allotted 6 minutes and you have already taken 10 minutes. You will do the same thing if you sit here.

SHRI ERA MOHAN : I do not want that Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is left to you. All I say is that we have to fix the time and everybody should be given a chance. It is all right. You have already taken ten minutes. Please conclude.

SHRI ERA MOHAN : Sir, the Chairman of Neiveli Lignite Corporation has stated publicly that if the State

[Shri Era Mohan]

Electricity Board clears the outstanding of Rs. 78 crores, then he would be able to supply any quantity of power to the State. When the State Electricity Board cannnot clear this sum of Rs. 78 crores in the interest of further supply of power, how do you expect the Board to show a surplus of 3% annually ? This factor forced me to say that the Electricity Board will have to resort to fabrication of false accounts. The accounts cannof be proper in these circumstances.

MR. DEPUTY-SPEAKER : How can the Government write wrong accounts ? The Government cannot do that.

SHRI ERA MOHAN : The Government has brought forward this Bill, the provisions of which will compel the State Electricity Boards to indulge in the misrepresentation of facts. All the State Governments are affected by this power crisis. The failure of monsoon has aggravated it. The Centre may have to import necessary equipment required by the Thermal plants for augmenting generation. The equipment supplied by BHEL is found to be defective. We have to commend the indigenous efforts of BHEL in this regard. But it must be ensured that all this equipment lead to fuller utilisation of the installed capacity in the Thermal Plants. If that cannot be achieved, then there should be no hesitation in importing the required plant and equipment in the interest of power generation in the country.

Sir, the coal is supplied from the same mines to the States and also to private Thermal Plants in the country. For instance, the Thermal Plant belonging to Birlas gets 80% to 90% good coal where the ash content is negligible. But in the coal supplied to the States, besides high ash content, there are also blackstones. The hon. Minister should ensure that such things do not recur.

The Rajyadiksha Committee was constituted to make recommendations so that the recurring power crisis can be averted and the money invested in the power sector yields appropriate returns without the workers being made the victims of any modernisation. But the recommendations of this Committee have not yet seen the light of the day. I wonder why such Committees should be constituted and why should taxpayers' money be wasted, if no action is to be taken on the recommendations of the Committees. In the existing scheme of things another committee may be appointed to process the recommendations of Rajyadiksha Committee. Sir, the need of the hour is reorganisation of the Electricity Boards in the country. Then only you can implement the provisions of this Bill. I would go to the extent of demanding that a comprehensive Bill should be brought forward by the Government and not this feeble and faint-hearted legislative measure.

Sir, the Kalpakkam unit might not produce any power now due to some faults. But after six or seven months it may start generation. In that event, I would like to remind the House of the solemn assurance of the hon. Prime Minister given in 1971 in a public meeting. She had assured the people of Tamil Nadu that all the power produced in the first unit of Kalpakkam plant would be given to Tamil Nadu and 50% power of the second unit would also go to Tamil Nadu. This assurance should not be brushed aside on the ground that this was given in 1971 and now it is 1983, as we see that many of the Prime Minister's assurances given today are changed next day. On behalf of the people of Tamil Nadu I want that this assurance of the hon. Prime Minister should be implemented.

17 hrs.

Before I conclude, I would refer to my starred Question to which the hon. Planning Minister, Shri S.B. Chavan answered today. He stated that the Tamil Nadu Government has not proposed any perspective power plan and there are also no power projects of Tamil

Nadu pending the approval of the Planning Commission.

MR. DEPUTY-SPEAKER . You should have put supplementary then. This morning only you asked this question.

SHRI ERA MOHAN : The Electricity Minister is here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What has he to do with this ?

SHRI ERA MOHAN : Sir, according to my information, there are some power projects of Tamil Nadu pending the approval of the Planning Commission. I am sorry that the hon. Minister of Planning has supplied wrong information to the House. In the matter of power projects, whatever the State Government has sent, they should all be approved instantly. The Central Government should extend all the cooperation to the States in this matter. I conclude my speech by demanding that the hon. Minister should get this withdrawn and bring later on a comprehensive Bill for achieving the laudable objectives he has in mind.

श्री रामस्वरूप राम (गया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के कार्यकलापों में सुधार करने के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है। इस बिल का हार्दिक समर्थन करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस तरह का बिल 1978 में प्रस्तुत किया था। उस बिल की मंशा यह थी कि जितने बिजली बोर्ड हैं उनके कार्यकलापों में सुधार हो, उनके एकाउंट्स में सुधार हो, उनके एसेट्स इम्प्रूव हो। लेकिन उसके बावजूद बिजली बोर्डों की स्थिति सुधारी नहीं।

बिजली सोशल चेंज का, आर्थिक विकास का एक बड़ा साधन है। हम उत्पादकता वर्ष भी मना रहे हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ाने की हम बहुत चेष्टा कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ईयर के अन्तर्गत बिजली कारखानों को अनवरत रूप से मिलती रहे, यह बहुत आवश्यक है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बिजली के महत्व को इन्कार नहीं किया जा सकता। एक सैकिंड भी बिजली बन्द हो जाए तो कारखानों के प्रोडक्शन पर उसका बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। बिजली बोर्डों की स्थिति को देखते हुए माननीय गनी खां चौधरी साहब ने तो यहां तक कहा था :

'TAKE OVER WARNING TO POWER BOARDS'

उनके दिमाग में यह बात थी कि स्टेट बिजली बोर्ड अपने कार्य क्लापों में सुधार लाने में पूरी तरह फेल कर गए हैं। केन्द्र से बराबर निर्देश दिए गए हैं कि वे सुधार लाएं। उन्होंने कहा था :

> " 'The Minister said that even with such assistance, if the Boards fail to step up generation, "we shall have to find out whether the Centre will not activity intervene in the matter'. At present there were constitutional constraints against the Centre's intervention, he said and added, 'if necessary we shall amend the Constitution.' "

बिजली की उपादेयता और उसके महत्व को देखते हुए मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान कि मंत्री महोदय इस ओर सक्रिय कदम बढ़ाएंगे। चन्द्र शेखर जी अनुभव प्राप्त नेता हैं। उनकी सूझ बूझ से हम सभी परिचित हैं। मैं उम्मीद करता था कि इस दिशा में उनकी डायरेक्ट इंटर वैंशन होगी और मात्र इस पर जोर नहीं देंगे कि तीन प्रतिशत का ही लाभ अर्न करें। कहीं ऐसा न हो कि 1978 जैसा संशोधन यह भी संशोधन बन कर ही रह जाए।

[श्री राम स्वरूप राम]

बिजली का प्राबलैम एक नेशनल प्राबलैम है। बिहार हो या कोई अन्य प्रांत सभी के सामने बिजली की समस्या है। इसका सीधा असर नेशनल इकोनोमी पर पड़ता है। इसकी गम्भीरता को न समझें और राज्यों पर इतने महत्वपूर्ण विषय को छोड़ दें तो बिल तो यहां पास हो जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी एवं बोर्डों की जो हालत है वर्तमान ढांचे में जिन परिवर्तनों की आप अपेक्षा रखते हैं, उस में आप पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे।

मैं बिहार राज्य से आता हूं। वहां देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में बिजली की हालत सब से ज्यादा खराब है। गांवों में तीन तीन महीने तक बिजली नहीं मिलती है। शास्त्री जी ने अपने स्पेशल मेंशन के द्वारा यह बताया है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री वहां बन्द पड़ी हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप बिजली की दर बढ़ाएं। इस पर आपकी मोनोपोली है। कपड़ा लत्ता हम जिस तरह से हम बाजार से खरीदते हैं उस तरह से बिजली को खरीदा नहीं जा सकता है। इस पर टोटल मोनोपोली सरकार की है। सरकार का कर्त्तव्य है कि जब आप हम से मिनिमम गारंटी मांगते हैं और पैसा जमा करवाते हैं मिनिमम गारंटी के रूप में तो कंज्यूमर्ज को गारंटी दें कि उनको मिनिमम बिजली भी सप्लाई की जाएगी। मिनिमम गारंटी आफ बिजली सप्लाई। जब तक दोनों में को-आर्डिनेशन नहीं बन सकेगा, तब तक सिर्फ बिजली की कीमतें बढ़ाते जाइये, उनका टैरिफ बढ़ाते जाइये, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम गारंटी इन टर्म्स आफ मनी और मिनिमम गारंटी इन टर्म्स आफ इलैक्ट्रिक सप्लाई, जब तक इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि आम जनता को इससे लाभ नहीं होगा।

अभी एक प्रस्ताव आया था, बिजली बोर्ड की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रिड बनाने की बात भारत सरकार ने सोची थी लेकिन राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया। यह तो गजब की बात है कि एक तो इस मामले में कोई सुधार नहीं ला पा रहे हैं और इस पर संशोधन पर संशोधन हम करते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि ज्यों-ज्यों हम दवा कर रहे हैं, मर्ज उतना ही बढ़ रहा है। आज बिल पास करते हैं, कल बिजली बन्द। नेशनल ग्रिड की जो बात चल रही है उसके बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कमैंट्स मांगे थे, लेकिन वहां से अभी तक कमैंट्स नहीं आ सके हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नेशनल ग्रिड बनाने की जो आपकी मंशा है, हर राज्य में आप उसको बखूबी कीजिए लेकिन अगर इससे काम नहीं चलता है तो बिजली बोर्ड को टेक-ओवर करना चाहिए। इसमें अगर दिक्कत हो कि यह स्टेट के कान्करेंट सबजेक्ट में है, इसलिये स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है तो इसके लिये सरकार एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लाये और आवश्यक हो तो संविधान में भी संशोधन करे। यह देश के और जनता के हित में है। चाहे शहरी जनता हो या गांव की जनता हो, उनके हित में आपको कांस्टीट्यूशन में अमैंडमैंट लाना चाहिये जिससे डायरैक्ट केन्द्र को पावर रहे कि स्टेट के बिजली के मामले में केन्द्र डायरेक्ट दखलन्दाजी कर सके। ऐसा प्रावधान आपको करना चाहिये।

बिजली बोर्ड में, खासकर बिहार में मैं कहना चाहता हूं कि वहां राजनीतिक भावना प्रेरित की गई है। वहां के इंजीनियर्स जिनसे हम जैनरेशन की उम्मीद करते हैं, मैं आपका ध्यान पतरातू की ओर खींचना चाहता हूं, जो कि बहुत बड़ा विद्युत ताप घर है जहां से तमाम बिहार के लोगों को बिजली मिलती है, वहां बहुत ज्यादा पोलिटिक्स होती है। वहां कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे ठेकेदार हों या इंजीनियर्स हों, उनपर थोड़े से सम्मान की जिम्मेदारी रहती है, उसको पलटने के नाम पर जैनरेशन यूनिट बन्द हो जाता है। उन मशीनों में से जो पार्टस निकाले गये होते हैं, उन्ही को फिर रिपेयर के नाम पर मशीनों में लगा दिया जाता है। इस तरह से पहले दिन मशीन बनाते हैं, दूसरे दिन वह फिर खराब हो जाती है क्योंकि वही खराब माल उसमें लगा होता है और उसे खराब माल के पैसे नये माल के नाम पर लिये जाते हैं।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर कुछ रूस के इंजीनियर्स भी गए थे वहां के लोगों के कालोबरेशन से यह बना था। बहुत से इंजीनियर्स बुलाये गये हैं, लेकिन हमारे बार बार एफर्ट्स के बाद भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। उन लोगों से पूछा गया कि यूनिट बार-बार खराब क्यों होती है, तो उन्होंने कहा कि कुछ इंजीनियर्स पतरातू में पोस्टिड हैं, उनको वहां से हटा दीजिए, तो पतरातू के यूनिट में खराबी नही होगी, क्योंकि वही लोग स्वार्थ में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के कारण यूनिट खराब करते हैं और मरम्मत के नाम पर पैसा कमाते हैं।

आज वहा के इंजीनियर्ज बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो गये हैं। सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक इन्जीनियर की जगह पर एक इंजीनियर को ही रखना चाहिए, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर को चेयरमैन बना दिया गया है, जिसको एम्पीयर, मेगावाट और किलो मैगावाट की कोई जानकारी नहीं है। वहां पर एक्सपर्ट इंजीनियर लगाए जाने चाहिए। यदि बिहार में बढ़िया इंजीनियर नहीं मिलते हैं, तो भारत सरकार को चाहिए कि डेपुटेशन पर अच्छे इंजीनियर वहां भेजे जाएं, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। लेकिन एक आई ए एस को वहां पर लगा दिया गया है। कल एक आई० ए० एस० को मैडिकल कालेज का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। एक ला एंड आर्डर को कंट्रोल करने वाले अधिकारी को बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना देने से और उसके द्वारा सीलिंग फैन के नीचे बैठ कर पालिसी बना देने से लोगों को बिजली नहीं मिल सकेगी। बिजली बोर्ड में नियुक्तियों के बारे में नार्म्ज बने हुए हैं कि कौन व्यक्ति चेयरमैन हो सकते हैं।

1964 में वेंकटरामन कमेटी ने रीकमेंड किया था :—

> "In 1964, the venkataraman Committee recommended a gross return of 9.5 per cent (including electricity oluty) on capital employed after making provision for operating expenses and depreciation.'

कठिनाई यह है कि सरकार कमेटी बना देती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को वह पढ़ती भी नहीं है। नतीजा यह होता है कि जैनीरेशन के काम की देखभाल के लिए एक इंजीनियर के बजाए एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दिया गया है। और फिर कहा जाता है कि बिजली बोर्ड में सुधार नही हो रहा है।

[श्री रामस्वरूप राम]

कमेटी ने यह भी कहा है :—

"The tariff structure should not only be guided by the socialistic principles, but should be made to keep pace with the rising cost of electricity."

मैं मानता हूं कि हमारी एक वैलफेयर स्टेट है और इसलिए बिजली बोर्ड एक कामर्शल संस्थान होते हुए भी उसे जनता के हितों के प्रति सिम्पैथेटिक होना चाहिए। लेकिन देश की जनता चाहती है कि बिजली की दर बढ़ाने के साथ साथ प्राडक्शन बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली दी छाए।

कमेटी ने यह भी रीकमेंड किया है :

"Boards must take firm and stern measures to realise all outstanding electricity dues from all categories of consumers in time."

आज किसानों की तरफ बकाया नहीं है। आज बकाया उन लोगों की तरफ है, जो बड़ी बड़ी फैक्टरियां चलाते हैं, जैसे रोहतास इंडस्ट्रीज बिग हाउसिज पर 60 करोड़ रु० बकाया है, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जाता है। इसकी तुलना में मार्जिनल फार्मर्ज और स्माल फार्मर्ज के पम्प-सेट की लाइन काट दी जाती है, क्योंकि उन्होंने बिजली का बकाया नहीं दिया है। बिजली बोर्ड के पास ये फिगर्ज नहीं है कि कितना बकाया विग हाउसिज पर है और कितना गरीब लोगों पर है। बकाया न देने के नाम पर गरीब लोगों की लाइन काट दी जाती है और बड़े लोगों को रियायत दी जाती है।

कमेटी का एक रीकमेंडेशन यह भी है : —

"Boards must generate their own resources by minimising costs and avoiding misuse of funds."

उन्होंने अपनी रेकमेंडेशन में कहा है कि बिजली बोर्डों का चेयरमैन कोई एक्सपर्ट इंजीनियर होना चाहिए न कि आई० ए० एस० आफिसर।

बहुउद्देशीय कम्पनियां भी चाहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बिजलीघर चलायें। हमारी सरकार किसी चीज में किसी को भी मोनोपोली देना नहीं चाहती है लेकिन बिजली के मामले में उसकी मोनोपोली है। बिजली का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिजली की बड़ी कमी है इसलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी बिजली का जेनरेशन एलाऊ करना चाहिए लेकिन उसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन्स होनी चाहिए तथा सरकार के माध्यम से ही उनकी बिजली की आपूर्ति जनता को की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी नेशनल ग्रिड बनावें और जिन राज्यों में बिजली की कमी है वहां पर बिजली की सप्लाइ करें इसके अलावा आप यह नियम भी बनावें और आज ही स्टेट्स को सर्कुलर भेज दें कि बिजली बोर्डों को एक्सपर्ट इंजीनियर्स के हाथ में रखा जाए तभी इस दिशा में कुछ सुधार हो सकता है। मन्त्री जी ने यहां पर जो सोचसमझ कर बिल पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद बिजली के मामले में सुधार आयेगा। यदि इसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता है तो बिजली बोर्डों को टेक-ओवर करने का बिल मंत्री जी को यहां पर लाना चाहिए।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली उत्पादन का जो

महत्व इस देश की अर्थ-व्यवस्था में है, उससे किसी को इंकार नहीं होगा। साथ साथ बिजली के उत्पादन में जो कमी है उससे भी किसी को इंकार नहीं होगा। राज्य बिजली बोर्ड लगातार घाटे में चल रहे हैं इससे भी किसी को इंकार नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि ऐसी दशा है कि राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और देश के लिए बिजली की इंतहाई आवश्यकता है जिसकी वजह से देश के उद्योग, छोटे उद्योग और कृषि के कामों में रुकावट पैदा होती है।

जो बिल आप इस सदन में लाए हैं उसमें खास तौर से आपने यह कहा है।

"to provide that each Board shall have a surplus, which shall not be more than 3%."

इसका मतलब यह है कि आप यह उम्मीद करते हैं बिजली बोर्डों से कि वे अपने घाटे को पूरा करेंगे और न केवल घाटा ही पूरा करेंगे बल्कि 3 परसेन्ट सरप्लस की भी व्यवस्था करेंगे। इससे यह जाहिर है कि आज की जो व्यवस्था है उसमें बोर्डों में घाटा है। लगता है कि आप उनको निर्देश दे रहे हैं कि वे व्यवस्था में सुधार लायें, अगर ऐसा निर्देश है तो बहुत अच्छा है लेकिन असल में सुधार नहीं हो रहा है। राज्य के बिजली बोर्डों ने पिछले दो, तीन, चार साल के अर्से में कई बार बिजली की दरें बढ़ाई हैं जिसका बोझ छोटे उद्योगों, घरेलू उद्योगों और काश्तकारों पर पड़ा है। आपके इस निर्देश को पूरा करने के लिए जनता पर इस का बोझ और बढ़ेगा यह छुपी हुई बात नहीं है, शायद इसकी चर्चा और भी लोगों ने की हो कि शायद वर्ल्ड बैंक के निर्देश को आपको पूरा करना है। अहम बात यह है कि इस बिल के आने के बाद राज्य बिजली बोर्ड और भी बिजली का किराया बढ़ायेंगे। वह बोझ भी वहां के साधारण किसानों को, छोटे उद्योग पतियों पर पड़ेगा, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इसी के साथ साथ मैं कुछ बातें आपके सामने और रखना चाहता हू। अभी छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह अंदाज लगाया गया था कि सारे बिजली बोर्डों का घाटा 44 सौ करोड़ रु० कैलकुलेट हो चुका है। वह घाटा अब पूरा करने के लिए बिजली का दाम भी बढ़ाया जाएगा। दाम जब बढ़ाया जाता है, तो उसकी पद्धति की ओर आपको थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए। किसान को बिजली आप नहीं देते हैं, तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं मिलती है, महीने में सिर्फ चार या पांच दिन बिजली मिलती है और उस पर भी आपने मिनिमम चार्ज फिक्स किया हुआ है कि बिजली का उपयोग हो या नहीं आपको इतना पैसा तो देना ही है। हमारे यहां पहले 15 रुपया था, अब 22 रुपया हो गया है और सुनने में आ रहा 25 रुपया होने वाला है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बिजली देनी चाहिए, आप बिजली नहीं देते हैं, फिर भी आप अंकुश लगाते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से इतना पैसा तो देना ही है। इस प्रकार की हालत आप दूसरे उद्योगों पर नहीं डालते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान के ऊपर आप चार्ज लगाते हैं, लेकिन सिनेमा में जो धांधली चल रही है बिजली की चोरी हो रही है, चीनी मिलों में धांधली चल रही है, बिजली की चोरी हो रही है। इस बारे में मैंने एक पत्र उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री को लिखा था। जिस में मैंने कहा था सिनेमा वालों के ऊपर शिफ्ट के हिसाब से चार्ज लगाइए और इसी तरह से चीनी मिलों

[श्री असफाक हुसैन]

पर उत्पादन के हिसाब से चार्ज लगाइए। आंकड़े आपके पास है कि प्रति क्विंटल चीनी के उत्पादन में कितनी बिजली की खपत होती है और उसी के हिसाब से उनसे पैसा लिया जाना चाहिए। जब आप किसानों पर लगा सकते हैं तो आपको सिनेमा घर और चीनी मिलों पर लगाने में क्या आपत्ति है। बिजली के बारे में एक बात यह भी आई थी कि आप राष्ट्रीय बिजली प्लान बनाकर आप उसको सदन में रखेंगे। लेकिन अभी तक कोई उसकी शक्ल, कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का रूप भी अब तैयार होने जा रहा है, पता नहीं आप उस में इस बात का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार बिजली की जो व्यवस्था, एक जनरेशन दूसरा ट्रांसमीशन और तीसरा डिस्ट्रिब्यूशन .....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr Hussain, are you concluding now, or will you continue toworrow ?

SHRI ASHFAQ HUSSAIN : I will continue tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER ; You can continue tomorrow.

——

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Dowry Deaths in Delhi

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we shall take up half-an-hour discussion.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो जवाब दहेज के प्रसंग में जलने वाली महिलाओं का आया है, वह बहुत ही विरोधात्मक है। इन के जो जवाब पहले हुए हैं और अखबारों में जो रिपोर्टें छपी हैं, उन में काफी अन्तर है और ऐसा लगता है कि पुलिस जो गलत रिपोर्टें दे देती है, उसी पर मंत्री जी आधारित हो जाते हैं और कोई विशेष या खुफिया पुलिस इन्हें सही रिपोर्ट नहीं देती है और इस कारण ऐसा लगता है कि इस सदन को केवल झूठी रिपोर्टें ही मिलती हैं।

दहेज समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप है, एक भयंकर कलंक के रूप में यह उभरा है और कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन कि महिला जल कर न मरती हो। कई रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में 12 घंटे में एक ऐसी मृत्यु होने की खबर है और ऐसी भी कई रिपोर्टें है, जिन के अनुसार 24 घंटे में एक मृत्यु होती है। मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि 6 महीने के अन्तराल में 23 इस तरह की घटनाएं हुई हैं, यह इन्हीं के जवाबों से बिल्कुल गलत साबित होता है। 3 मार्च 1983 को लोक सभा में ही वेंकटसुब्बय्या जी ने श्री राम लाल राही के एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि "260 women died of burns last year."

इन्होंने ही उस दिन यह बताया था और राज्य में भी 18 मार्च, 1983 को श्री लाखन सिंह, एम० पी० के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया है कि 1982 में 40, 1981 में 23 और 1980 में 17 मौतें हुई हैं। इस तरह से आप देखें कि इन के दोनों जवाबों में अन्तर है। पुलिस ने केवल 23 महिलाओं की मृत्यु की सूचना दी है और मैं यह समझता हूं कि पुलिस कम घटनाओं की रिपोर्ट इसलिए करती है कि कहीं उस के ऊपर चार्ज न लग जाए कि इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और